

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:— 403(2)राज-6 / 07 | १९

जयपुर दिनांक:— २५-११-११

१. समस्त संभागीय आयुक्त
२. समस्त जिला कलेक्टर
राजस्थान।

विषय— अवैधानिक रूप से मंदिर माफी की भूमि पर से विधिक टिनेंट का नाम विलोपन के संबंध में कार्यवाही करने के क्रम में।

परिपत्र

रियासतकालीन भू-धारकों (लेण्ड होल्डर) द्वारा मंदिरों की सेवा-पूजा व पुजारियों/सेवायतों के जीवनयापन हेतु मूर्ति मंदिरों की कृषि भूमियां माफी में दी गयी। ऐसी भूमियों का माफी मूर्ति मंदिर के साथ-साथ अहतमाम पुजारी/सेवायतों के नामों का भी राजस्व रिकार्ड में अंकन किया। पुजारियों/सेवायतों ने कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 के प्रावधानों अन्तर्गत अपने नाम अवैध रूप से खातेदारी दर्ज कराकर मूर्ति मंदिर की भूमि माफी का उस्तान्तरण कर उन्हें खुर्द-खुर्द करना प्राप्त्य कर दिया। ऐसी स्थिति में देवमूर्ति के हितों की सुरक्षा तथा इसके संबंध में अनावश्यक मुकदमें बंगाली को रोकले के लिए भू-प्रबंध आयुक्त व समस्त जिला कलेक्टर्स को संबोधित पत्र क्रमांक प.2(4)राज-4/98/37 दिनांक 31-12-1991 को जारी किया गया। जिसमें निम्न प्रकार कार्यवाही करने के निर्देश प्रसारित किये—

१. भविष्य में जो जमाबंदी संजस्व विभाग या बदोबस्त विभाग द्वारा बनाई जावे उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जावे।
२. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर लियन प्रोफार्म में अलग से रखा जावे। जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जावे।
३. जो जमाबंदी बन चुकी है तथा वर्तमान में प्रभाव में है उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जावे तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जावे। इस बाबत् स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिकार्ड के कालम अंकित किया जावे।

यह पत्र जिस भावना से जारी किया वह तो ठीक थीं परन्तु भू-प्रबंध अधिकारियों/राजस्व विभागियों ने मूर्ति मंदिर की खातेदारी भूमि में साथ लिखे पुजारी/सेवायतों के नाम हटाने के साथ-साथ उन कृषकों के खातेदारी अंकनों को भी विलोपित कर दिया जिनको राजस्थान भूमि संचार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत वैद्य रूप से खातेदारी अधिकार प्रदूषित हुये थे। यह कार्यवाही कानूनी रूप से गलत तथा पत्र दिनांक 31-12-91 की मंशा के बाद द्वारा की गयी थी। इस प्रकार पत्र दिनांक 31-12-91 की मंशा के विपरीत वैद्य काश्तकारों का खातेदारी अंकन विलोपित करना कानून संगत नहीं था।

393

परंतु उन मामलों में जो बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये अर्थात रेफरेंस दायर किये बिना ही पत्र दिनांक 31-12-91 की पालना में राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनःशृण अधिनियम 1952 की धारा 9 के अंतर्गत ऐसे रूप से खातेदारी प्राप्त कृषकों की खातेदारी विलोपित कर दी है, उनके समर्थन किये जाने का परिपत्र दिनांक 24-05-07 में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है।

अतः परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/07/14 दिनांक 24-5-07 की निरन्तरता में आगे स्पष्ट किया जाता है कि जहां राजस्व विभाग के पत्र पा 2(4)राज-4/98/37 दिनांक 31-12-91 की पालना में पूर्ववर्ती राजस्व रिकार्ड (जमाबद्दी) में काश्तकारों की अंकित खातेदारी अंकन को बिना किसी रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर पारित विधिक आदेश के विलोपित कर दिया है ऐसे मामले राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में रिकार्ड दुरुस्ती के प्रावधानों के अंतर्गत निर्णित किये जाने चाहिये। क्योंकि ऐसे मामलों जिनमें बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अंकन का रिकार्ड तैयारी के समय विलोपन कर दिया हो, उन्हें पत्र दिनांक 31-12-91 की गलत व्याख्या के तहत की गयी लिपिकीय भूल ही भाना जावेगा और ये राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत अंकन दुरुस्त करने की श्रेणी में आते हैं अतः ऐसे मामलों में प्रभावित काश्तकारों से धारा 136 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र विधिवत दायर करकर रिकार्ड दुरुस्ती की कार्यवाही की जावे। जहां ऐसे प्रकरण बहुतायत में हैं वहां कैम्प लगाकर प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर प्रभावित कृषकों को राहत प्रदान की जावे।

यहां यह विशेष रूप से ध्यान रखा जावे कि यह परिपत्र उन मामलों में लागू नहीं होगा जिनमें किसी विधिक आदेश से कृषक की खातेदारी विलोपित करके भूमि मूर्ति मंदिर की खातेदारी में दर्ज की गई हो।

उप शासन सचिव
25.11.2011

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निबधक राजस्व मण्डल अजमेर।
2. जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
3. संस्कृत उप शासन सचिव, राजस्व विभाग।
4. राजित पत्रावली।

उप शासन सचिव
25.11.2011